न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : राजवीर सिंह चौधरी, RAS

अपील संख्या 13/2015

1 सवाईसिंह पुत्र बालसिंह जाति तंवर राजपूत निवासी भोजमेड तन चीपलाटा तहसील नीमकाथाना जिला सीकर।

अपीलांट

बनाम

1 कमला कंवर बेवा मांगु सिंह उर्फ मानसिंह।
2 हरिसिंह पुत्र मांगु सिंह उर्फ मानसिंह।
3 राजेन्द्र सिंह पुत्र मांगु सिंह उर्फ मानसिंह।
4 विक्रम सिंह पुत्र मांगु सिंह उर्फ मानसिंह।
5 शैतान कंवर पत्नी भागु सिंह।
6 मालसिंह पुत्र भागु सिंह।
7 रतन सिंह पुत्र बींजू सिंह समस्त जाति तंवर राजपूत निवासीगण भोजमेड तन चीपलाटा तहसील नीमकाथाना जिला सीकर।
8 भूमिधारी जरिये तहसीलदार नीमकाथाना जिला सीकर।
9 पटवारी पटवार हल्का नीमकाथाना जिला सीकर।
10 मूली देवी पत्नी प्रभुदास जाति स्वामी निवासी अविनाशी तहसील नीमकाथाना जिला सीकर।

रेस्पोडेंट

अपील विरूद्व निर्णय एवं डिक्री दिनांकित 05.05.1999
द्वारा उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना बउनवानी
मांगू सिंह उर्फ मानसिंह आदि बनाम सवाई सिंह आदि
मुकदमा नम्बर 66/1992 उपखण्ड अधिकारी
श्री प्रदीप नागर आर.ए.एस. द्वारा पारित किया गया।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

उपस्थिति :

1. श्री नोपाराम जांगिड़, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री महेन्द्र सिंह सुण्डा, अधिवक्ता रेस्पोडेंट
3. श्री कैलाश स्वामी, अधिवक्ता रेस्पोडेंट

—निर्णय—

दिनांकः— 01.12.21

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना द्वारा मुकदमा नम्बर 66/1992 में पारित निर्णय दिनांक 05.05.1999 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि रेस्पोडेंट संख्या 01 के पति 02 ता 04 के पिता एवं रेस्पोडेंट संख्या 05 के पति तथा 06 एवं रेस्पोडेंट संख्या 07 के पिता द्वारा एक वाद बाबत् इस्तकरार हेतु एवं स्थाई निषेधाज्ञा हेतु इस आशय का पेश किया कि भूमि खसरा नम्बर 3659 रकबा 01 बीघा, खसरा नम्बर 3661 रकबा 1 बीघा 1 बिस्वा, खसरा नम्बर 3799 रकबा 6 बीघा 16 बिस्वा, खसरा नम्बर 3644 रकबा 6 बीघा चाही, खसरा नम्बर 3679 रकबा 1 बीघा 9 बिस्वा चाही, खसरा नम्बर 3680 रकबा 10 बिस्वा चाही, खसरा नम्बर 3544 रकबा 7 बीघा 14 बिस्वा चाही, खसरा नम्बर 3545 रकबा 2 बीघा 1 बिस्वा चाही, खसरा नम्बर 3547 रकबा 11 बिस्वा चाही, खसरा नम्बर 3594 रकबा 3 बीघा 2 बिस्वा, खसरा नम्बर 3636 रकबा 1 बीघा 3 बिस्वा बारानी, खसरा नम्बर 3637 रकबा 3 बिस्वा बारानी खसरा नम्बर 3765 रकबा 35 बीघा 2 बिस्वा, खसरा नम्बर 2 बिस्वा, खसरा नम्बर 3798 रकबा 13 बीघा 18 बिस्वा, खसरा नम्बर 3804 रकबा 13 बीघा 14 बिस्वा, खसरा नम्बर 3798/3879 रकबा 13 बिस्वा बारानी पर वादीगण शुरू से ही काबिज काश्त है तथा वर्तमान में भी उक्त भूमि को वादीगण ने काश्त कर रखा है उक्त भूमि तन ग्राम चीपलाटा में स्थित है। उक्त भूमि राजस्व रिकार्ड बालसिंह पुत्र

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

सागुसिंह राजपूत निवासी भोजमेड़ के नाम थी, जिसे प्रतिवादी संख्या 01/अपीलांट ने राजस्व रिकार्ड में फर्जीयत करके एवं धोखा करके अपने नाम करवाने की कार्यवाही की है। प्रतिवादी संख्या 01/अपीलांट ने ग्राम पंचायत चीपलाटा के तत्कालीन सरपंच तथा हल्का पटवारी से साज करके श्री बालसिंह की भूमि विरासत बाबत बाला–बाला फर्जी प्रमाण पत्र प्राप्त करके भी बालसिंह की खातेदारी की भूमि थी को विरासत के आधार पर नामान्तकरण अपने नाम कराने की साज की कार्यवाही प्रतिवादी संख्या 01/अपीलांट ने की है तथा पटवारी एवं सरंपच ग्राम पंचायत चीपलाटा से मिलकर नामान्तकरण संख्या 952 के जरिये दिनांक 05.02.1987 को भूमि वर्णित खण्ड संख्या 01 वाद पत्र को प्रतिवादी नम्बर 01/अपीलांट ने अपने नाम कराने की साजिश की है वादीगण ने विचारण न्यायालय में अपील अनुवानी मांगू सिंह आदि बनाम सवाई सिंह प्रमाण संख्या 48/1990 पेश कर रखी है तथा उक्त भूमि पर वादीगण स्व. बालसिंह के जीवन काल से ही कब्जा काश्त तथा वर्तमान में भी उक्त भूमि पर वादीगण कब्जा काश्त है, वादीगण ने काफी मेहनत एवं धन खर्च करके भूमि को काश्त योग्य बनाया है प्रतिवादी/अपीलांट का उक्त भूमि से किसी किश्त का तालुक नहीं है। ना ही प्रतिवादी/रेस्पोडेंट ने विवादित भूमि काश्त होती है। न ही उसका विवादित भूमि पर कब्जा रही है ना वर्तमान में है एवं वाद पत्र में समरा खानदान बताते हुए अपीलांट के पिता बालसिंह को फौत होना बताया है एवं उनकी देखभाल व सेवा सुश्रुषा करने वाला वादीगण को बताया गया है एवं उन्ही को वैद्य वारिस बताया गया है एवं अपीलांट को जाति से दरोगा बताते हुए जोधसिंह की संतान बताया है। जिसके चलते अपीलांट द्वारा ग्राम सरपंच व पटवारी से साथ कर फर्जी नामान्तरण भरवाने की कुचेष्टा बताई है और इसी के चलते अपीलांट द्वारा बाला–बाला उक्त भूमियों के बेचान कर रकम हड़पने पर आमादा बताया है एवं साथ ही दिगर व्यक्ति या बैंक को रहन रखने पर आमादा बताया है। अतः यदि प्रति. संख्या 01 प्रतिवादी संख्या 02 से मिलकर एवं साज करके उक्त भूमि की रजिस्ट्री किसी दिगर व्यक्ति को कर देगा और रकम अकेला हड़

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

लेगा। इसलिए प्रतिवादी संख्या 01 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा प्रतिबन्धित फरमाया जावें कि वादीगण को कब्जे काश्त की भूमि पर किसी प्रकार की दखलन्दाजगी व मुजामहत न करे तथा उक्त भूमि को विक्रय व्यय या मुन्तकिल किसी अन्य को न करे ना ही किसी को रहन या गिरवी रखते तथा प्रतिवादी संख्या 02 को बाद पाबन्द फरमाया जावे कि वह उक्त भूमि के सम्बंध में कोई रजिस्ट्री तस्दीक न करें। वादीगण द्वारा प्रस्तुत दावे के सन्दर्भ में प्रतिवादी संख्या 01/अपीलांट की तामील सवाई सिंह पुत्र जोधसिंह जाति दरोगा निवासी भोजमेड़ तन चीपलाटा तहसील नीमकाथाना जिला सीकर के नाम दिनांक 01.09.1995 को जारी हुई जो किस तारीख को हुई पत्रावली पर नहीं है परन्तु निर्दिष्टि दिनांक 10.10.1995 है विचारण न्यायालय के समक्ष पेश हुई जिसे प्रतिवादी संख्या 01/रेस्पोडेंट ने प्राप्त नहीं किया उसे स्वंय मांगु सिंह पुत्र बिजू सिंह द्वारा प्राप्त किये जाने के नोटस सहित प्राप्त किया गया बताया है जबकि जिस व्यक्ति पर विचारण न्यायालय की तामील हुई है वह स्वयं की वादी संख्या 01 के रूप में तथा न्यायालय विचारण द्वारा परिक्षित भी है। इसलिए विचारण न्यायालय द्वारा वादीगण के हक में डिक्री पारित दिनांक 05.05.1999 को की गई। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय में सवाई सिंह के पिता का नाम व जाति गलत अंकित कर दावा पेश किया गया है। जबकि जमाबंदी में सवाई सिंह पुत्र बालसिंह जाति राजपूत अंकित है। विचारण न्यायालय मे गलत वल्दियत व जाति के आधार पर समन जारी करवाकर वादी मांगु सिंह ने ही समन प्राप्त कर लिया तथा समन की पुश्त पर भी स्वंय वादी ने ही प्राप्त करने का अंकन है। ऐसी स्थिति में अपीलांट को विचाराधीन वाद की जानकारी ही नही हुई। विचारण न्यायालय में विधि विरूद्व रूप से एक पक्षीय कार्यवाही कर विचाराधीन निर्णय पारित किया गया है। अपीलांट को साक्ष्य सुनवाई का अवसर प्रदान नही किया गया है। अत अपील स्वीकार की जावें।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि प्रस्तुत अपील में अपीलांट ने फर्जी रूप से सवाई सिंह पुत्र बालसिंह जाति राजपूत निवासी भोजमेड़ के रूप में फर्जी पुत्र बनकर अपील प्रस्तुत की है जबकि ऐसा कोई गोदनामा अथवा अन्य कोई दस्तावेजी सबूत प्रस्तुत नहीं किया है जिससे यह साबित हो कि अपीलांट बालसिंह का पुत्र अथवा दत्तक पुत्र हो इसके विपरित अपीलांट वास्तविक रूप से जोधसिंह जाति दरोगा निवासी भोजमेड़ है जिस बाबत रेस्पोडेंट ने आदेश 41 नियम 27 सीपीसी के तहत वे समस्त दस्तावेज प्रस्तुत किये है जिसमें यह साबित हो रहा है कि अपीलांट बालसिंह का पुत्र न होकर जोधसिंह का पुत्र है तथा जाति राजपूत न होकर दरोगा है। जिसका दस्तावेजी सबूत रेस्पोडेंट्स ने अपील की तामील सूचना व वकालतनामा पेश किया था तथा उक्त अपील का नोटिस भी सवाई सिंह पुत्र जोध सिंह जाति दरोगा निवासी भोजमेड़ के नाम से जारी हुआ था जिस पर वह उपस्थित हो चुका था। अपीलांट ने अपनी वल्दीयत व पिता का नाम गलत अंकित किया है। कार्यालय ग्राम पंचायत चिपलाटा पंचायत समिति नीमकाथाना का जारी प्रमाण पत्र जिसमें पंचायत की बैठक दिनांक 21.04.2011 के प्रस्ताव संख्या 02 के अनुसार बालसिंह पुत्र सांगू सिंह जाति राजपूत निवासी भोजमेड़ को नाऔलाद अविवाहित फौत होने का प्रमाण पत्र है। विरासत की जांच रिपोर्ट ग्राम भोजमेड़ दिनांक 05.08.2015 द्वारा जांच रिपोर्ट की गयी है जिसमें बालसिंह को अविवाहित नाऔलाद होना अंकित किया है तथा पगड़ी रस्म बाबत भी उक्त दस्तावेजात में कथन किया है तथा सवाई सिंह पगड़ी रस्म में शामिल नहीं हुआ तथा सुवटी पत्नी जोधसिंह को बालूसिंह के पास नहीं रहना रिकार्ड पर आया है। फोटो प्रतियां गंगाजी में अस्थि विसर्जन की लिखावटे बैशाख सुदी 3 संवत् 2049 व मंगसीर सुदी 1 संवत 2032 में की गयी लिखावट में सवाई सिंह पुत्र जोधसिंह के खानदान से रेस्पोडेंट/प्रार्थी के खानदान से कोई सम्बंध सरोकार नहीं है। प्रमाणित प्रति पुलिस थाना नीमकाथाना में दर्ज प्रकरण एफ.आई.आर. नम्बर 200/2009 जो सवाई सिंह/अपीलांट ने रेस्पोडेंट के विरूद्व दर्ज करायी थी जिसमें एफ.आर. लगी।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

प्रमाणित प्रति एफ.आई.आर. संख्या 200/2009 पुलिस थाना नीमकाथाना में बाद अनुसंधान एफ.आर. संख्या 80/2009 पुलिस थाना नीमकाथाना प्रस्तुत हुई है जिसमें उक्त सम्पूर्ण तथ्यो बाबत विस्तृत जांच की गयी है जिसमें एफ. आर. के मद संख्या 01 लगायत 10 में उक्त अपील में चुनौतीग्रस्त तथ्यों के बाबत विस्तृत जांच कर उक्त प्रकरण में एफ.आर. प्रस्तुत की है जो प्रस्तुत करना चाहता है। सवाई सिंह द्वारा पुलिस थाना नीमकाथाना में उक्त प्रकरण संख्या 200/2009 में अपने धारा 161 सीआरपीसी में बयान प्रस्तुत किये जिसमें स्वयं अपीलांट ने अपने आप को बाहर रहना बताता है तथा उसने अपनी माता सुवटी को जोधसिंह की पत्नी व उसके पास रहना अंकित किया है तथा यह भी कथन करता है कि अपनी माता सुवटी ने बालसिंह से शादी की या नहीं उसक पता नहीं है। निर्वाचन सूची 1959 जिसके कम संख्या 496 के मकान नम्बर व मतदाता का नाम कमांक 310 जोधसिंह पुत्र फतेहसिंह व सुवटी पत्नी जोधसिंह अंकित किया गया है। निर्वाचन नामावली संख्या 1993 के कम संख्या 160 से 165 के मकान नम्बर व मतदाता का नाम कमांक 23 में अपीलांट के पूरे खानदान का अंकन है जिससे भी स्पष्ट है कि अपीलांट ने अपनी वल्दियत छुपाकर अपील पेश की है। पंचायत मतदाता सूची वर्ष 1999 में कम संख्या 185 से 191 के मकान नम्बर व मतदाता का नाम कमांक 23 में भी सवाई सिंह पुत्र जोध सिंह अंकित है। सवाई सिंह ने दिनांक 19.08.1991 को न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना में चल रही नामान्तकरण अपील मांगूसिंह बनाम सवाई सिंह में प्रस्तुत वकालतनामा में सवाईसिंह पुत्र बालसिंह जाति राजपूतन बनकर अपील में उपस्थित आया है जबकि इस आवेदन के उपरोक्त मद में वर्ष 1999 में अपने आप को सवाईसिंह पुत्र जोधसिंह जो मतदाता सूची 1999 के कम संख्या 191 पर अंकित है तथा उक्त अपील के जो नोटिस गये उसमे सवाई सिंह पुत्र जोधसिंह जाति दरोगा निवासी भोजमेड़ अंकित किया गया था उस पर वह वर्ष 1991 में ही उपस्थित आकर अपनी वल्दियत को छुपाया है। प्रमाणित प्रति पंचायत मतदाता सूची वर्ष 1999 के कम संख्या 191 में अपीलांट का नाम सवाई सिंह पुत्र जोधसिंह अंकित चला

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

आ रहा है जबकि इससे पूर्व ही उसने अपनी वल्दियत छुपाते हुए विभिन्न मुकदमो में बालसिंह का फर्जी पुत्र बनकर व जाति बदलकर पैरवी करता आ रहा है जबकि मतदाता सूचियां व अन्य सभी दस्तावेजात में सवाईसिंह पुत्र जोधसिंह जाति दरोगा निवासी भोजमेड़ के नाम से रिकार्ड चले आ रहे है। निर्वाचन नामावली 1966 के भाग संख्या 48 के कम संख्या 260 से 264 में भी अपीलांट की माता सुवटी को जोधसिंह की पत्नी बताया गया है तथा बालसिंह को सांगुसिंह का पुत्र बताया गया है। प्रमाणित प्रति निर्वाचन नामावली 1988 के कम संख्या 451 पर सवाई सिंह को जोधसिंह का पुत्र बताया गया है। ऐसी स्थिति में अपीलांट बालसिंह का जायन्दा अथवा गोद पुत्र होना साबित नही है। वल्दियत निर्धारण का अधिकार सिविल न्यायालय को है। अपीलांट ने इस हेतु सिविल न्यायालय में कोई चाराजोही नही की है। ऐसी स्थिति में अपीलांट की अपील इसी स्तर पर खारिज की जाने योग्य है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रस्तुत अपील में अपीलांट ने सवाई सिंह पुत्र बालसिंह जाति राजपूत निवासी भोजमेड़ के रूप में फर्जी पुत्र बनकर अपील प्रस्तुत की है जबकि ऐसा कोई गोदनामा अथवा अन्य कोई दस्तावेजी सबूत प्रस्तुत नहीं किया है जिससे यह साबित हो कि अपीलांट बालसिंह का पुत्र अथवा दत्तक पुत्र हो इसके विपरित अपीलांट वास्तविक रूप से जोधसिंह जाति दरोगा निवासी भोजमेड़ है जिस बाबत रेस्पोडेंट ने आदेश 41 नियम 27 सीपीसी के तहत वे समस्त दस्तावेज प्रस्तुत किये है जिसमें यह साबित हो रहा है कि अपीलांट बालसिंह का पुत्र न होकर जोधसिंह का पुत्र है तथा जाति राजपूत न होकर दरोगा है। जिसका दस्तावेजी सबूत रेस्पोडेंट्स ने अपील की तामील सूचना व वकालतनामा पेश किया था तथा उक्त अपील का नोटिस भी सवाई सिंह पुत्र जोध सिंह जाति दरोगा निवासी भोजमेड़ के नाम से जारी हुआ था जिस पर वह उपस्थित हो चुका था। अपीलांट ने अपनी वल्दीयत व पिता का नाम गलत अंकित किया

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

है। कार्यालय ग्राम पंचायत चिपलाटा पंचायत समिति नीमकाथाना का जारी प्रमाण पत्र जिसमें पंचायत की बैठक दिनांक 21.04.2011 के प्रस्ताव संख्या 02 के अनुसार बालसिंह पुत्र सांगू सिंह जाति राजपूत निवासी भोजमेड़ को नाऔलाद अविवाहित फौत होने का प्रमाण पत्र है। विरासत की जांच रिपोर्ट ग्राम भोजमेड़ दिनांक 05.08.2015 द्वारा जांच रिपोर्ट की गयी है जिसमें बालसिंह को अविवाहित नाऔलाद होना अंकित किया है तथा पगड़ी रस्म बाबत भी उक्त दस्तावेजात में कथन किया है तथा सवाई सिंह पगड़ी रस्म में शामिल नहीं हुआ तथा सुवटी पत्नी जोधसिंह को बालूसिंह के पास नहीं रहना रिकार्ड पर आया है। फोटो प्रतियां गंगाजी में अस्थि विसर्जन की लिखावटे बैशाख सुदी 3 संवत् 2049 व मंगसीर सुदी 1 संवत 2032 में की गयी लिखावट में सवाई सिंह पुत्र जोधसिंह के खानदान से रेस्पोडेंट/प्रार्थी के खानदान से कोई सम्बंध सरोकार नहीं है। प्रमाणित प्रति पुलिस थाना नीमकाथाना में दर्ज प्रकरण एफ.आई.आर. नम्बर 200/2009 जो सवाई सिंह/अपीलांट ने रेस्पोडेंट के विरूद्व दर्ज करायी थी जिसमें एफ.आर. लगी। प्रमाणित प्रति एफ.आई.आर. संख्या 200/2009 पुलिस थाना नीमकाथाना में बाद अनुसंधान एफ.आर. संख्या 80/2009 पुलिस थाना नीमकाथाना प्रस्तुत हुई है जिसमें उक्त सम्पूर्ण तथ्यो बाबत विस्तृत जांच की गयी है जिसमें एफ. आर. के मद संख्या 01 लगायत 10 में उक्त अपील में चुनौतीग्रस्त तथ्यों के बाबत विस्तृत जांच कर उक्त प्रकरण में एफ.आर. प्रस्तुत की है जो प्रस्तुत करना चाहता है। सवाई सिंह द्वारा पुलिस थाना नीमकाथाना में उक्त प्रकरण संख्या 200/2009 में अपने धारा 161 सीआरपीसी में बयान प्रस्तुत किये जिसमें स्वयं अपीलांट ने अपने आप को बाहर रहना बताता है तथा उसने अपनी माता सुवटी को जोधसिंह की पत्नी व उसके पास रहना अंकित किया है तथा यह भी कथन करता है कि अपनी माता सुवटी ने बालसिंह से शादी की या नहीं उसक पता नहीं है। निर्वाचन सूची 1959 जिसके कम संख्या 496 के मकान नम्बर व मतदाता का नाम कमांक 310 जोधसिंह पुत्र फतेहसिंह व सुवटी पत्नी जोधसिंह अंकित किया गया है। निर्वाचन नामावली संख्या 1993

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

के कम संख्या 160 से 165 के मकान नम्बर व मतदाता का नाम कमांक 23 में अपीलांट के पूरे खानदान का अंकन है जिससे भी स्पष्ट है कि अपीलांट ने अपनी वल्दियत छुपाकर अपील पेश की है। पंचायत मतदाता सूची वर्ष 1999 में कम संख्या 185 से 191 के मकान नम्बर व मतदाता का नाम कमांक 23 में भी सवाई सिंह पुत्र जोध सिंह अंकित है। सवाई सिंह ने दिनांक 19.08.1991 को न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना में चल रही नामान्तकरण अपील मांगूसिंह बनाम सवाई सिंह में प्रस्तुत वकालतनामा में सवाईसिंह पुत्र बालसिंह जाति राजपूतन बनकर अपील में उपस्थित आया है जबकि इस आवेदन के उपरोक्त मद में वर्ष 1999 में अपने आप को सवाईसिंह पुत्र जोधसिंह जो मतदाता सूची 1999 के कम संख्या 191 पर अंकित है तथा उक्त अपील के जो नोटिस गये उसमे सवाई सिंह पुत्र जोधसिंह जाति दरोगा निवासी भोजमेड़ अंकित किया गया था उस पर वह वर्ष 1991 में ही उपस्थित आकर अपनी वल्दियत को छुपाया है। प्रमाणित प्रति पंचायत मतदाता सूची वर्ष 1999 के कम संख्या 191 में अपीलांट का नाम सवाई सिंह पुत्र जोधसिंह अंकित चला आ रहा है जबकि इससे पूर्व ही उसने अपनी वल्दियत छुपाते हुए विभिन्न मुकदमो में बालसिंह का फर्जी पुत्र बनकर व जाति बदलकर पैरवी करता आ रहा है जबकि मतदाता सूचियां व अन्य सभी दस्तावेजात में सवाईसिंह पुत्र जोधसिंह जाति दरोगा निवासी भोजमेड़ के नाम से रिकार्ड चले आ रहे है। निर्वाचन नामावली 1966 के भाग संख्या 48 के कम संख्या 260 से 264 में भी अपीलांट की माता सुवटी को जोधसिंह की पत्नी बताया गया है तथा बालसिंह को सांगुसिंह का पुत्र बताया गया है। प्रमाणित प्रति निर्वाचन नामावली 1988 के कम संख्या 451 पर सवाई सिंह को जोधसिंह का पुत्र बताया गया है। ऐसी स्थिति में अपीलांट बालसिंह का जायन्दा अथवा गोद पुत्र होना साबित नही है। वल्दियत निर्धारण का अधिकार सिविल न्यायालय को है। अपीलांट ने इस हेतु सिविल न्यायालय में कोई चाराजोही नही की है। ऐसी स्थिति में अपीलांट को प्रभावित पक्षकार नही माना जा सकता है एवं अपील अपीलांट इसी स्तर पर खारिज योग्य पाई जाती है।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 01.12.2021 को सरे इजलास सुनाया गया।

(राजवीर सिंह चौधरी)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर